फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

गंगाराम वगैरा बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 87/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.06.2020	प्रार्थीगण की ओर स वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त सेढा व बाहामी तौर पर किये गये बटंवाड़े में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी करने, कच्चा–पक्का निर्माण करने, बैचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 15.07.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 571, 572, 573, 580 रकबा क्रमशः 0.1861, 0.1294, 23.9060, 4.2473 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थी के कब्जे व काश्त में विप्रार्थी किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही प्रार्थी के खेत में चीणें आदि रोपें। न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। न ही किसी प्रकार का बैचान करें। वर्तमान मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 15.07.2020 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:27:59 IST
Reason: SelfAttested

14/07/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद जरिये विड्रोवल खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:27:59 IST
Reason: SelfAttested